

फर्द अहकाम

फूलचन्द वनाम कंगला

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

80/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	28/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई बादी अधिवक्ता उपस्थित। बादी की मोर से बादी की लाक्ष्य में स्वयं बादी फूलचन्द पुत्र मंगला, एवं स्वतंत्र गवाह रामनारायण पुत्र जंगल, रामजीलाल पुत्र गंगा लक्ष्य का लाक्ष्य शपथ पत्र पेश किया एवं प्रदर्श १-१ डाले गये एवं गवाह की मुख्य परीक्षा करवाई गई। बादी ने मोर लाक्ष्य पेश नहीं करके पर बादी की लाक्ष्य बंद की जाती है। बादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर अंतिम बयान करने हेतु निवेदन किया। बादी अधिवक्ता की एक पक्षीय अंतिम बयान सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करके एवं बादी अधिवक्ता की बयान पर मसन करने के उपरान्त बादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ ६ लिखवाया जाकर शाकिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्याप्त जाती है।</p> <p>पत्रावली फौजल सुमार डोकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर डोकर नम्बर है।</p>

फूलचन्द



रामजीलाल

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

न
प